Statement-II

Statement showing statewise Catchements covered under centrally sponsored scheme of Integrated watershed Management of Flood Prone Rivers

Sl. No.	States	Catchments
1.	Bihar	(i) Sone
		(ii) Ajoy
		(iii) Punpun
		(iv) Kosi
2.	Harayana	(i) Ghaggar
3.	Himachal Pradesh	(i) Upper Yamuna
		(ii) Ghaggar
4.	Madhya Pradesh	(i) Sone
5.	Punjab	(i) Ghaggar
6.	Rajasthan	(i) Sahibi
7.	Uttar Pradesh	(i) Gomti
		(ii) Sone
		(iii) Uppar Yamuna
		(iv) Upper Ganga
8.	West Bengal	(i) Aioy
		(ii) Rupnarain

Production and consumption of Synthetic Milk

4064. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that synthetic Milk is being produced and consumed in certain Northern States of the country;

(b) whether a recent report by Indian Council of Medical Research (ICMR) has indicated that such adulterated items have a carcinogenic (cancerous) effect on the human system and can lead to gradual impairment of the human body; and

(c) if so, the steps being taken to detect such manufacturing units and ban the production of such milk?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Subsidy on Tractors

4065. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the models of Tractors and power tillers on which Agricultural subsidy is available;

(b) the number of people who have benefited by this scheme during the last one year; and

(c) for how long will this scheme continue

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (c) There was no Scheme sanctioned during 1994-95 whereunder subsidy was available on Tractors or Power tillers; nor is there any such Scheme presently under implementation.

उर्वरकों के मूल्य

4066. श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आयातित और स्वदेशी उर्वरकों के वर्तमान मूल्य क्या-क्या हैं और उनको कितनी राजसहायता दी गयी हैं;

(ख) क्या वर्ष 1991 के उर्वरकों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्षों की तुलना में यह वृद्धि कितनी है;

(घ) इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण उर्वरकों की खपत में कमी आयी है;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की तुलना में यह कमी कितनी है; और

(छ) उर्वरकों के मूल्यों को युक्तियुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि उर्वरकों की खपत बढ़ायी जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) वर्तमान में केवल यूरिया का मूल्य सरकार द्वारा वैधानिक रूप से नियंत्रित है। समय-समय पर नियत किए गए नियंत्रित उर्वरकों के मूल्य उत्पादन या आयात की वास्तविक लागत से कम रहे हैं। किसानों को बिक्री हेतु उर्वरकों (जोकि नियंत्रणाधीन हैं) के वर्तमान मूल्य निम्न प्रकार हैं:—

(रुपये प्रति टन)

यूरिया (46% एन)	3320
एनहाड्रस यूरिया	5300
जिर्केटिड यूरिया	4480

नियंत्रित उर्वरक की उत्पादन लागत की तुलना में बिक्री मूल्य में के रूप में कम वसूली के लिए निर्माताओं की क्षतिपूर्ति के लिए, अलग-अलग निर्माता इकाइयों को प्रतिधारण - सह-राजसहायता योजना के अन्तर्गत सब्सिडी दी जा रही है।

आयात किए गए नियंत्रित उर्वरकों (जो कि वर्तमान में केवल यूरिया हैं) के मामले में दी जाने वाली राजसहायता आयात की लागत तथा अधिसूचित बिक्री मूल्य के बीच आने वाले अन्तर के समान राशि है।

नवीनतम अधिसूचित प्रतिधारण मूल्यों के अनुसार, यूरिया का प्रति टन भारित औसत प्रतिधारण मूल्य 5088 रुपये प्रति टन बैठता है। इसी प्रकार, सरकार द्वारा आयातित उर्वरकों पर वहन की गई राजसहायता आयात के लिए अनुबंधित मूल्यों के आधार पर समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है। नवीनतम अनुबंध के अनुसार यूरिया के आयात का अनुबंध